तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8/1/25	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप०। प्रतिवादी अनु०। प्रतिवादी अधिवक्ता कई पेशियों से अनुपस्थित। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 15/1/25 को पेश हो।	
15/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश 31/1/25 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी कोटा
31/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थीया श्रीमती इन्द्राबाई द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA प्रस्तुत कर निवेदन किया कि - • ग्राम उमलाना में प्रतिवादी क्र. 1 की अन्य खातेदारान के साथ ख.न. 355/0.75 में 1/5 भाग तथा अन्य आराजीयात कुल किता 22 कुल रकबा 9.11 हैक्टे में 1/30 हिस्सा तथा ग्राम कोटड़ादी में कुल किता 3 रकबा 3.94 हैक्टे में 1/30 भाग कृषि आराजी शामिल है। • प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा कारित दुर्घटना के क्रम में न्यायालय MACT कोटा के आदेशों की पालना में प्रतिवादी 1	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम तामील
	की अचल सम्पत्ति को कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही की गई। * SDM कोटा द्वारा 15.3.2008 को नीलामी की गई। जिसमें उच्चतम बोली प्रार्थीया की रु 5,12,000/- रही, जिसे SDM द्वारा 20/03/2008 को स्वीकृत कर दिया गया। जिसके उपरान्त प्रार्थीया द्वारा नीलामी की समस्त राशि जमा करवा दी गई। * उक्त नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त SDM कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 520/07 में सर्टिफिकेट ऑफ सेल्स टाइटल ऑफ सूट वादिनी के नाम जारी कर दिया गया। प्रार्थना- " वादिनी को वाद पत्र के चरण क्रम-1 में वर्णित सम्पत्ति क्रम-1 के हिस्से की आराजीयात का काश्तकार (खातेदार) घोषित किया जाकर वादिनी के नाम सम्पत्ति ①	

उपखंड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
के स्थान पर खाता रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी (1) वाद पत्र के चरण (1) में वर्णित आराजीयात के किसी भी भाग का विक्रय, हस्तान्तरण, रहन अथवा अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे एवं वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें।"	
* वादिनी द्वारा अपने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेजात संलग्न किये गए हैं —	
- असल सर्टिफिकेट - SDO - कोर्ट	
- असल प्रार्थनापत्र दिनांक 30/04/11	
- असल रसीद दिनांक 15/03/2018	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम तामील
	- असल रसीद दिनांक 28/03/00 • वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। • प्रतिवादी क्रमांक (1) द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के चरण (1) लगायत (11) को स्वीकार किया गया तथा निवेदन किया गया है कि – " वादिनी ने उपरोक्त अनवानी वाद में वर्णित समस्त मदें दर्शाई है, जिसको प्रतिवादी ने स्वीकार की है। उक्त वाद को वादिनी के हक में करने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।" • स्पष्टतया प्रतिवादी क्रमांक (1) द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वादिनी का ~~जवाब दावा~~ वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।	

• बहस अभिभाषक वादिनी सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड ★ न्यायालय ★ अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
* हमनें पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा वहाँ विद्वान अभिभाषक वादिनी पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया। * पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित है कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में SDM कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 520/07 में सर्टीफिकेट ऑफ परचेज (टाइटल ऑफ सूट) जारी किया गया है जो प्रदर्श-1 है। यह प्रमाणपत्र 04/04/2008 को जारी किया गया था। * उक्त प्रमाणपत्र द्वारा SDM कोटा द्वारा इतगत आराजी के सम्बन्ध में इन्द्राबाई को क्रेता घोषित किया गया है। उक्त तथ्य को प्रतिवादी क्रमांक ① द्वारा भी स्वीकार किया गया है। * उक्त परिस्थितियों में जबकि वादिनी द्वारा अपने तथ्यों को पूर्णतया	

अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम तामील
	प्रमाणित किया गया है, तथा प्रतिवादी द्वारा भी इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी का वाद स्वीकार किया गया है, इस वाद को वादिनी के पक्ष में निर्णीत किया जाना न्यायोचित पाते हैं। * अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर, वादिनी को ग्राम दामलाना की आराजी ख.नं. 355/0.75 Hct में से हिस्सा 1/5, ख.नं. 40/0.16, 47/0.30, 44/0.26, 45/0.27, 46/0.31, 47/0.22, 48/0.23, 49/0.31, 50/0.30, 51/0.39, 58/0.29, 142/0.11, 277/809 /0.01, 277/810 /0.02, 281/0.22, 308/0.55, 343/0.09, 354/1.15, 453/0.19, 455/0.16, 457/0.29, 458/0.28 कुल किता 22 रकबा 6.11 Hct में से 1/30 भाग तथा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
ग्राम कोटखेड़ी की आराजी ख.नं. $\frac{30}{0.81}$, $\frac{34}{0.55}$, $\frac{186}{2.58}$ कुल किता 3 रकबा 3.94 Hect में से 1/30 भाग का बृजराज मालव पुत्र श्री गोपाल आकड़ के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी पर बृजराज मालव के स्थान पर वादिनी इन्द्राबाई पत्नी रामकैलाश जाति आकड़ निवासी [illegible] का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।	
* डिक्री पर्चा मुताबिक से जारी हो।	
* निर्णय आज दिनांक 15/01/25 को मेरे द्वारा लिखकर सुनाया गया।	
* पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर) 15/01/25

उपखण्ड अधिकारी कोटा

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी